न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :— मनमोहन मीना, आर.ए.एस.
अति0 जिला कलक्टर, लालसोट

मुकदमा नंबर :— जीसीएमएस नंबर 2023/16
मैन्युअल नंबर 05/2023

रजु दिनांकः :— 27.09.2023

1. रामजीलाल पुत्र भूरया जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी टोरडा तह0 लालसोट जिला दौसा

(अपीलांट)

बनाम

1. दुर्गालाल पुत्र भूरया | जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी टोरडा
2. शम्भूलाल पि0मु0 मूलचन्द | तह0 लालसोट
3. नाथूलाल पुत्र भूरा जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी डिडवाना तह0 लालसोट जिला दौसा
4. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा

(रेस्पोडेन्टस)

<u>अपील विरुद्ध नामान्तकरण आदेश अधीनस्थ तहसीलदार लालसोट दिनांक 13.05.1997 ब नामान्तरण सं0 504 ग्राम टोरडा तह0 लालसोट</u>

उपस्थितः— 01. अपीलांट की ओर सेः— अधिवक्ता श्री बी0एम0 गौड
02. रेस्पोडेन्टस की ओर सेः— कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांकः 30/06/2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की ओर से एक अपील विरूद्ध नामान्तकरण आदेश अधीनस्थ तहसीलदार लालसोट दिनांक 13.05.1997 नामान्तरण सं0 504 ग्राम टोरडा तह0 लालसोट इस आशय की पेश कि है की ग्राम टोरडा तह0 लालसोट स्थित आराजी ख0नं0 239 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा अपीलांट सं0 1 व रेस्पो0 सं0 1 के स्व0 पिता व रेस्पो0 सं0 2 के दत्तकी पिता स्व0 मूलचन्द के स्व0 पिता भूरा पुत्र गणेश जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी टोरडा की खातेदारी की भूमि थी। स्व0 भूरया का देहान्त दि0 17.03.1998 को हुआ था। प्रत्यर्थी सं0 3 के पिता स्व0 भूरा पुत्र गणेश ने ग्राम टोरडा स्थित आराजी खसरा नं0 311 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा कजोड आदि ब्राहम्णान के उत्तराधिकारीगण काना व महादेव से क्रय की थी जिसकी खातेदारी भूमि एकीकरण के समय खतौनी सं0 51 भूरा पुत्र गणेश जाति ब्राह्मण निवासी डिडवाना के नाम अंकित हुई जबकि अपीलांट के पिता भूरा पुत्र गणेश जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी टोरडा के नाम खतौनी सं0 52 पर आराजी खसरा नं0 236 व 239 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी प्रथकशः अंकित हुई।

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

अपीलांट ने अभिवचन किए है कि रेस्पो0 सं0 3 नाथूलाल के पिता भूरामल की मृत्यू अपीलांट के पिता की मृत्यू के करीब 15 वर्ष पूर्व हो गई थी। रेस्पो0 सं0 3 ने अपने पिता भूरा पुत्र गणेश की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का सलेमपुरा से षडयंत्र कर भूरा पुत्र गणेश निवासी डिडवाना की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 311 व अपीलांट के पिता भूरया पुत्र गणेश निवासी टोरडा की खातेदारी भूमि खसरा नं0 239 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा का नामान्तरकरण सं0 504 ग्राम टोरडा दिनांक 17.02.1997 को भूरा पुत्र गणेश का मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर अपने नाम खुलवा लिया। भू अभि0 निरी0 द्वारा तुलना कर तहसीलदार लालसोट ने दिनांक 13.05.1997 को समस्या समाधान शिविर कल्लावास में बिना किसी जांच के तस्दीक कर दिया अतः अपीलांट के पिता की खातेदारी भूमि खसरा नं0 239 नामांतरण के आधार पर रेस्पो0 सं0 3 के नाम गलत तौर पर अंकित हो गई। अपीलांट का कहना है कि आराजी खसरा नंबर 239 बारानी लगान युक्त भूमि है जिस पर अपीलांट बहैसियत खातेदार काश्त करता आ रहा है।

अपीलांट ने अपील के समर्थन में कथन किए है कि तहसीलदार लालसोट द्वारा बिना किसी जांच व अपीलांट को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये प्रश्नगत नामांतरण तस्दीक फरमा दिया। अपीलांट के पिता भूरया पुत्र गणेश जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी टोरडा का निधन दिनांक 17.03.1998 को हुआ है व मृत्यू का पंजीकरण ग्राम पंचायत डिडवाना में दिनांक 24.03.1998 को हुआ था जिससे सिद्ध है 1 कि प्रश्नगत नामान्तरकरण अपीलांट के पिता के जीवनकाल में ही खुलवाया गया है। नाम की समानता के कारण भूरया पुत्र गणेश की खातेदारी भूमि खसरा नं0 239 का नामान्तकरण दीगर गांव डिडवाना के भूरा पुत्र गणेश के नाम पर अपीलांट के पिता की खातेदारी भूमि का अनुचित रूप से नामान्तरण खोले जाने का कथन करते हुए अपीलांट ने प्रश्नगत नामांतरण को निरस्तनीय करार दिया है।

अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पेश कर अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश दिनांक 13.05.1997 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टस की तलवी की गई परंतु रेस्पोडेण्टस की ओर से कोई उपस्थित नही आया। प्रश्नगत नामांतरण से संबंधित मूल अभिलेख तहसीलदार राहूवास से तलब किया जाकर शामिल किया गया।

अपीलांट की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार कर तहसीलदार लालसोट का आदेश दिनांक 13.05.1997 व नामान्तरकरण सं0 504 ग्राम टोरडा निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

हमने योग्य अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर गौर व मनन किया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं मूल अभिलेख का अवलोकन किया। इसके उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि तहसीलदार लालसोट का प्रश्नगत आदेश दिनांक 13.05.1997 व नामांतरण संख्या 504 ग्राम टोरडा तह0 लालसोट निरस्त किया जाना उचित है अतः तहसीलदार लालसोट का प्रश्नगत आदेश दिनांक 13.05.1997 व नामांतरण संख्या 504 ग्राम टोरडा तह0 लालसोट निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार राहूवास को इस आशय से रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में मृतक के विधिक वारिसान की टोरडा व डिडवाना दोनो ग्रामों में जांचकर विधिक वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30/06/2025 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना आरएएस)
अति0 जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)
लालसोट,दौसा